…ाम न्यायालय फा…

– न्यायालय … बस्सी, जयपुर

प्राथी

राजूलाल बनाम

…संख्या 136/24 (2024/356 online number) अप्रार्थीगण

कृष्ण व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05.08.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कमल किशोर शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पावंद नहीं किया गया तो इस प्रार्थना-पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि विवादित भूमि कि वास्तविक सिमायें क्या है, अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये विवादित आराजी खाता संख्या 92 नई पुरानी 82 खसरा नम्बर 235, 54, 57, रकबा 11.3931, 0.1897, 0.7208, है0. कुल खसरे तीन कुल रकबा 12.3036 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 94 नई, पुरानी 84, खसरा नम्बर 238, 239, 240, 241, रकबा 0.0379, 0.5184, 0.1265, 3.4268 है0 कुल खसरे चार कुल रकबा 4.1096 हैक्टेयर कुल खातें दो, कुल खसरें 07 कुल रकबा 16.4132 हैक्टेयर वाके ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का बूड़थल भू-अभि0.नि0 क्षेत्र कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंधं में उभयपक्षों को आगामी तारीख पेशी दिनांक 20/08/24 तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वाद ग्रस्त भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे । उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। तलबाना अप्रार्थी आज ही पेश करें। बाद जॉच सम्मन अप्रार्थी को जारी होकर प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावें। प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता जरिये रजि. डाक इस आदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, सम्मन भेजकर डाक रसीद एक दिवस में पेश करें। अन्यथा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता आज ही पेश करें पत्रावली पुनः दिनांक 20/08/24 को पेश हो। sd/ उपखण्ड अधिकारी बस्सी,जयपुर	777 7-8-24
20.8.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप0। पत्रावली इन्तजार तामिल वास्ते दिनांक 20/9/24 को पेश हो।	
20/9/24	15-10-24	

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/8/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाए जाने पर प्रार्थी अधिवक्ता एक पक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 28/8/25 को पेश हो।	
	28/08/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस पूर्व ~~प्र~~ में सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद बंटवारा ~~से स~~ का है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 11.3931 है०, ख.न. 54 रकबा 0.1897 है०, ख.न. 57 रकबा 0.7208 है०, ख.न. 238 रकबा 0.0379 है०, ख.न. 239 रकबा 0.5184 है०, ख.न. 240 रकबा 0.1265 है०, ख.न. 241 रकबा 3.4268 है० वाके ग्राम रामसिंहपुरा प० ह० कुड़थल में प्रार्थी एवं अप्रार्थी स० 1 लगायत 8 सहखातेदार काश्तकार होकर वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज है	

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

तथा अत वादग्रस्त भूमि का वर्तमान जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से नुसार खातेदारी व लगान अलग - अलग कायम करवाने हेतु मूल दावा न्यायालय हाजा मे विचाराधिन है।

अत: मूल वाद के निस्तारण तक प्रा. पत्र T-2. को Confirm किये जाने हेतु कहा।

पत्रावली पर प्रार्थी अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार है:-

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण :- उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी/प्रार्थी एवं अप्रार्थी स. 1 ता 8 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि कि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अत: रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में सिद्ध होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन :- आराजी भूमि के संयुक्त रूप से रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने से सुविधा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		का सन्तुलन दोनों ही पक्षों के हक में प्रमाणित है 3. अपूर्णनीय क्षति :- चूंकि वादग्रस्त आराजी का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। मूल दावा जो विभाजन का है। निस्तारण से शेष है यदि दौराने दावा किसी भी पक्ष द्वारा आराजी को खुर्द-बुर्द किया जाता है, तो दोनों ही पक्षों को अपूर्णनीय क्षति ~~होनी~~ होने की संभावना है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी की बाबत दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित रहेगा। अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212RTA ता फैसला मूल दावा स्वीकार किया ~~जाकर~~ जाकर उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम रामसिंहपुरा ख.नं. 235, 54, 57, 238, 239, 240, 241 के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28/8/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 28/8/25 उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला-जयपुर